कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य- 03/2025 **दिनांक 26/03/2025**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्याःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 25.03.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना कोतवाली, पुलिस टीम द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने की घटना कारित करने वाले 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 25.03.2025 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मय हमराह द्वारा वादिनी को शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक सम्बन्ध बनाना व वादिनी द्वारा शादी के लिए कहने पर मारना पीटना व वादिनी के घर वाले के पहुँचने पर उन्हें जान से मारने की धमकी देने के संबंध में अभियुक्त चन्दन गुप्ता पुत्र स्व0 रामविलास गुप्ता निवासी गौसपुर बुजुर्गा थाना कोतवाली गाजीपुर जिसके सम्बन्ध में वादिनी मुकदमा के तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 196/2025 धारा 69,115(2),351(3) बी0एन0एस0 का अभियोग पंजीकृत है को गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता-

चन्दन गुप्ता पुत्र स्व0 रामविलास गुप्ता निवासी गौसपुर बुजुर्गा थाना कोतवाली गाजीपुर उम्र 30 वर्ष

आपराधिकइतिहास–

मु0अ0सं0 196/2025 धारा 69,115(2),351(3) बी0एन0एस0 थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

02. थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 195/2025 धारा 65(1),352,351(3) बी0एन0एस0 व 5L/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 25.03.2025 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा वादिनी की लड़की उम्र करीब 17 वर्ष को अपने ऑफिस में बडौदा यूपी बैंक में रिकवरी कार्यालय में नौकरी के नाम पर रखकर उसके साथ बलात्कार की घटना करने के सम्बन्ध मे वादिनी मुकदमा के तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 195/2025 धारा 65(1),352,351(3) बी0एन0एस0 व 5L/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त गौतम सिंह यादव पुत्र स्व0 सूबेदार यादव निवासी ग्राम महुलिया थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर को महाराजंगज तिराहे के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता-
गौतम सिंह यादव पुत्र स्व0 सूबेदार यादव निवासी ग्राम महुलिया थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर उम्र 32 वर्ष
आपराधिक इतिहास –
मु0अ0सं0 195/2025 धारा 65(1),352,351(3) बी0एन0एस0 व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

03. थाना नन्दगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 87/2025 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 में 02 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 25.03.2025 को थानाध्यक्ष नन्दगंज मय हमराह के देखभाल क्षेत्र तलवल मोड़ पर मामूर थे कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्तगण रामशीष यादव पुत्र नन्दलाल यादव निवासी ग्राम मढ़ई हाला थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर व रोशन लाल उर्फ धनन्जय पुत्र स्व0 योगेन्द्र यादव निवासी ग्राम मढ़ई हाला थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर को हाला चट्टी के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया । अभिषेक यादव उर्फ मनोज यादव पुत्र चन्द्रिका यादव निवासी ग्राम वेदपुरवा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर एक शातिर किस्म का अपराधी है । इसका एक संगठित एवं सक्रिय नाजायज गिरोह हैं , जिसका सरगना अभिषेक यादव उर्फ मनोज यादव है तथा इस गिरोह के सदस्य 1. रामशीष यादव पुत्र नन्दलाल यादव निवासी ग्राम मढ़ई हाला थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर, 2. धनेश कुमार पुत्र रामजनम राम निवासी ग्राम भवानीपुर थाना रामपुर माँझा जनपद गाजीपुर, 3. रोशन लाल उर्फ धनन्जय पुत्र योगेन्द्र नाथ यादव निवासी ग्राम मढ़ई हाला थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर हैं। जिनके कब्जे से पूर्व में 193 पेटी में कुल 2316 बोतल अग्रेजी शराब बरामद हुआ था । दिनांक- 24.03.2025 को थानाध्यक्ष नन्दगंज द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 87/2025 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 में अभियोग पंजीकृत कराया गया है । गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-
1. रामशीष यादव पुत्र नन्दलाल यादव निवासी ग्राम मढ़ई हाला थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 39 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 73/2024 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 272 IPC व 60 60(2), 72 आबकारी अधिनियम थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर
2. मु0अ0सं0 87/2025 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर।

2. रोशन लाल उर्फ धनन्जय पुत्र स्व0 योगेन्द्र यादव निवासी ग्राम मढ़ई हाला थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 29 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 73/2024 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 272 IPC व 60 60(2), 72 आबकारी अधिनियम थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर
2. मु0अ0सं0 87/2025 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर